क्रम संख्या–100 (1)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 21 अक्टूबर, 2020 ई0

आश्विन 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 376 / XXXVI (3) / 2020 / 52(1) / 2020

देहरादून, 21 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020'** पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड राज्य का **अधिनियम संख्याः 23 वर्ष, 2020** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

महामारी (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 23, वर्ष 2020)

महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 03 वर्ष 1897) को उत्तराखण्ड राज्य में लागू होने के सन्दर्भ में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्निलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महामारी (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

धारा 2 का संशोधन

2. महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या 03 वर्ष 1897) के उत्तराखण्ड राज्य में लागू होने के संदर्भ में (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नवत् खण्ड अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(ग) महामारी की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु आवश्यक माल, सेवाओं तथा उपकरणों की अधिप्राप्ति (खरीद) तथा ऐसी अधिप्राप्ति (खरीद) की रीति"

धारा 3 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की पुरानी धारा 3 जो कि अध्यादेश संख्या 5 वर्ष 2020 द्वारा उपधारा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित कर दी गयी है, के स्थान पर निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्––

"अपराध का संज्ञेय तथा जमानतीय होना तथा अपराध का शमन

(1)(i) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाये गये किसी भी नियम या जारी किये गये किसी आदेश का उल्लंघन अथवा अवज्ञा करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माना जो पॉच हजार रूपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डित किया जायेगा।

(ii) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय तथा जमानतीय होगा।

(iii) इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध की कार्यवाही संस्थित होने के पूर्व अथवा पश्चात् ऐसे अधिकारी द्वारा तथा ऐसी धनराशि के भुगतान पर जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त निर्दिष्ट करे, शमन किया जा सकेगाः

परन्तु यह कि किसी भी स्थिति में विनिर्दिष्ट धनराशि, जुर्माने की अधिकतम राशि से अधिक न होगी जो उस अपराध के शमन हेतु अधिरोपित की जा सकती है।

(iv) जहां किसी अपराध का शमन उपधारा (1) खण्ड (iii) के अंतर्गत किया गया हो तो ऐसे अपराधी के विरूद्ध उस अपराध जिसके सम्बंध में ऐसा शमन किया गया है, कोई कार्यवाही अथवा अग्रेत्तर कार्यवाही न तो की जायेगी अथवा न ही जारी रखी जायेगी तथा अपराधी यदि अभिरक्षा में है तो उसे तुरन्त छोड़ दिया जायेगा।"

निरसन और व्यावृत्ति

4. (1) महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020(उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्या 07 सन् 2020) एततद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

प्रेम सिंह खिमाल,
सचिव।

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

महामारी अधिनियम, 1897 में, वर्तमान प्रचलित कोविड–19 महामारी के नियन्त्रण एवं रोकथाम हेतु सरकार द्वारा निर्दिष्ट दिशा–निर्देशों के उल्लंघन पर दण्ड एवं उक्त के शमन सम्बन्धी यथेष्ट प्राविधान किये जाने हेतु संशोधन की अपरिहार्यता है।

चूंकि तत्समय विधान सभा सत्र में नही थी अतः "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 213 के खण्ड(1) के अधीन महामारी रोग(संशोधन) अध्यादेश, 2020(अध्यादेश संख्या 7 वर्ष 2020) प्रख्यापित किया गया था।

प्रस्तुत विधेयक उपरोक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है और उक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री